अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

05 06.05.2023	**न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, राँची** सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 29/2023 राज्य बनाम राजेन्द्र उरॉव पिता कल्हु उरॉव, निवासी ग्राम ताऊ मोड़, थाना–बुण्डू, जिला– राँची (झारखण्ड) .... विपक्षी आदेश वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 234/डी०सी०बी० दिनांक 05.03.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी राजेन्द्र उरॉव पिता कल्हु उरॉव, निवासी ग्राम ताऊ मोड़, थाना–बुण्डू, जिला– राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:– 1. बुण्डू थाना काण्ड संख्या–64/19 दिनांक 21.07.2019 धारा–25 (1–बी0)ए0/26/35 शस्त्र अधिनियम । 2. बुण्डू थाना काण्ड संख्या 63/19 दिनांक 20.07.2019 धारा–302/34/120 (बी) भा० द०वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम 3. बुण्डू थाना दैनिकी सनहा संख्या–22/23 दिनांक–14.02.2023 वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बुण्डू, राँची के कार्यालय का ज्ञापांक–248/2023, दिनांक– 22.02.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है किं कुख्यात एवं सकिय अपराधकर्मी राजेन्द्र उरॉव पिता कल्हु उरॉव, निवासी ग्राम ताऊ मोड़, थाना–बुण्डू, जिला– राँची सक्रिय अपराधकर्मी है। विपक्षी ग्राम ताऊ मोड़ थाना बुण्डू जिला राँची लोगों को डरा–धमका कर जमीन बिक्री के लिये विवश कर रहा है, जो एक	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग. कारवाई के बारे मे. टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

शातिर आद्तन असामाजिक तत्व है, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित एवं लोक परिशांति भंग हुई थी। इनके डर से कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर पाते है। इनके विरूद्ध और कोई भी कार्रवाई प्रभावित नहीं हो रही है। इनके विरूद्ध कई अपराधिक केस भी दर्ज है इससे इनके असमाजिक तत्व होना प्रमाणित होता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1) (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार विपक्षी के विरुद्ध लगाये गये सारे आरोप बिल्कुल गलत, बनावटी एवं निराधार है। विपक्षी के खिलाफ दर्ज बुण्डू थाना कांड सं० 64/2019 मे उन्हे झुठे आरोप के तहत्त फसाया गया है। वे इस वाद मे करीब 11 माह हिरासत मे थे। विपक्षी की जान एवं सम्पत्ति उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा खतरे मे है। वर्ष 2019 के उपरान्त वह कभी कभार ही अपने पैतृक गांव बुण्डू आते–जाते है। अपने जान एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के आश्वासन के शर्त्त पर वे प्रतिदिन थाना मे हाजरी देने के लिए तैयार है।

प्रस्तुत मामले मे विद्वान जिला लोक अभियोजक, रॉची ने पत्रांक 134/23 दिनांक 01.05.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमे उन्होने विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3 (b)(1) कार्रवाई करने की अनुशंसा किया है।

उभय पक्ष को सुना। विपक्षी के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट इत्यादि के अन्तर्गत वाद दर्ज है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार विपक्षी ग्राम ताऊ मोड़ थाना बुण्डू जिला राँची लोगों को डरा–धमका कर जमीन बिक्री के लिये विवश कर रहा है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंन रखने के निमित अपराधकर्मी राजेन्द्र उरॉव पिता कल्हु उरॉव, निवासी ग्राम

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

ताऊ मोड़, थाना–बुण्डू, जिला– राँची पर निगरानी रखना आव यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी राजेन्द्र उरॉव पिता कल्हु उरॉव, निवासी ग्राम ताऊ मोड़, थाना–बुण्डू, जिला– राँची को दिनांक 10.05.2023 से दिनांक 09.08.2023 तक की अवधि के लिए बुण्डू थाना, राँची में प्रत्येक दिन को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 09.05.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 10.05.2023 से दिनांक 09.08.2023 तक प्रत्येक दिन बुण्डू थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी राजेन्द्र उरॉव पिता कल्हु उरॉव, निवासी ग्राम ताऊ मोड़, थाना–बुण्डू, जिला– राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति राजेन्द्र उरॉव पिता कल्हु उरॉव, निवासी ग्राम ताऊ मोड़, थाना–बुण्डू, जिला– राँची तथा संबंधित थाना प्रभारियो को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.25 21:04:43 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:cd9:605:3f57:d4b9

जिला दण्डाधिकारी
रॉची